2.3

प्रपत्र–6

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 30.08.2016 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री प्रयाग दत्त चौबे, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री भुवन वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार, अवर अभियंता, द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम वन भूमि 2.356 है0, वन पंचायत भूमि 16.728 है0 कुल 19.084 है0 वन भूमि एवं 2.393 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरेखण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम किलपारा एवं कुंवारी की कुल 809 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 782 वृक्षों व नाप भूमि पर 01 वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/ व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(देवेन्द्र कुमार)
अवर अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ठेके एजेन्ट

अमीन

(श्री भुवन वर्मा)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग प्रतिनिधि

(श्री प्रयाग दत्त चौबे)
वन दरोगा
वन विभाग प्रतिनिधि

सहायक अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
कपकोट (सदस्य सचिव)

वनक्षेत्र अधिकारी
.... वन क्षेत्र
(सदस्य)

तहसीलदार
कपकोट
(सदस्य)

सहायक वन संरक्षक
.... वन प्रभाग
(सदस्य)

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
कपकोट

उपजिलाधिकारी
कपकोट/ अध्यक्ष, संयुक्त निरीक्षण
समिति तहसील कपकोट

प्रधान/ वन पंचायत सरपंच

प्रभागीय वनाधिकारी

जिला अधिकारी